<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 171/2026

हरखित यादव एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

नूरसराय थाना कांड संख्या 668/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2), 127(2), 109, 351(2), 190, 61(2), 191(2), 352 B.N.S

<u>06.03.2026</u>

अभियुक्त **हरखित यादव एवं रूपेश कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.12.2025 को सूचिका राधा देवी अपने पति चंदन कुमार और शिवदान यादव एवं शिवनाथ यादव नूरसराय सी0ओ0 साहब से मिलने आयी थी। आवेदन देकर नूरसराय थाना जा रहे थे तो थाना के गेट पर पहले से गुडडू यादव, विनोद यादव, हरखित यादव, धर्मेन्द्र यादव, आलोक यादव, रूपेश कुमार, धनराज कुमार, राहुल कुमार तथा अनुज कुमार सभी गेट पर मौजूद था। सभी लोग को देखकर सूचिका वापस आने का बस पकड़ कर बिहारशरीफ आ रहे थे, जैसे ही बिहारशरीफ बाजार समिति के गेट पर बस पहुंचा तो वहां एकाएक सभी अभियुक्त मिलकर बस रूकवाया बोलने लगा कि चंदन, शिवदानी यादव इसी बस में है, उतने में ही राहुल कुमार एवं धनराज कुमार और सभी लोग कटटा लेकर चढ़ गया अैर चंदन कुमार एवं शिवदानी यादव का कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर लेकर आया, वहां मोटरसाइकिल से मौजूद था और वह गाड़ी पर बैठाकर रूपेश कुमार, आलोक कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, हरखित यादव, विनोद यादव, राहुल कुमार, अनुज कुमार, गुड्डू यादव धनराज यादव सभी मिलकर सुनसान जगह ले गया और चंदन कुमार और शिवदानी यादव दोनों को बुरी तरह मारपीट किया। अभियुक्त राहुल कुमार, अनुज कुमार रूपेश कुमार तीनों हाथ में लोहे का रड कमर में देशी कटटा जान मारने की नियत से अपने हाथ में रखा था। सर बचाने के चक्कर में गिर गए तो तीनों मुदालय मिलकर दोनों हाथ–पैर तोड़ दिया और बोला कि नाम बताएगा तो जान से मार देगे। बाद में अभियुक्त धमेन्द्र कुमार, आलोक कुमार, हरखित यादव, विनोद यादव सभी मिलकर मारकर रड से लाठी–डंडा से बेरहमी से पीट दिया। सभी अभियुक्त का मंशा जान मारने का था। मारपीट के बाद अभियुक्त गुडडू यादव एवं विनोद यादव नूरसराय थाना कैंपस जाकर सभी मारने वाले की सूचना बता रहा था कि थाना में क्या हो रहा है, उतने में थाना के पुलिस कर्मी विभाग ने गुडडू यादव के मोबाईल से बात करते समय मोबाईल छीन लिया। समय करीब 03:30 बजे शाम में लोगों के द्वारा पता चला कि बालाजी पेट्रोल पंप आशानगर के पास रोड के किनारे दो आदमी फेंका हुआ है, तब थाना पुलिस के साथ शिवनाथ कुमार एवं सूचिका गई तो देखा कि अचेत अवस्था में दोनों पड़ा था। थाना प्रभारी ने पुलिस गाड़ी में उठाकर सदर अस्पताल लाए आगे ईलाज जारी है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हे झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 171/2026

हरखित यादव एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

नूरसराय थाना कांड संख्या 668/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2), 127(2), 109, 351(2), 190, 61(2), 191(2), 352 B.N.S

<u>लगातार</u>

06.03.2026

के अलावा और कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या कोई वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। उभयपक्ष के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है। प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड नूरसराय थाना कांड सं0 666/2025 दर्ज है। बी0एन0एस0 की धारा 109 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदकगण के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुए है। उनका यह भी कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि उभयपक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद है । प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड नूरसराय थाना कांड सं0 666/2025 दर्ज है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं । यह भी विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। कांड दैनिकी में जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्म को कड़े व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है । यह वाद Free-Fight का है ।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदक को 10,000/— रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत आवेदक को **<u>वाद के अनुसंधान पूर्ण होने तक औपबंधिक जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तथा संबंधित विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अनुसंधान पश्चात वाद के गुण—दोष के आधार पर इनके प्राप्त औपबंधिक जमानत को अपने स्तर से संपूष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगे ।</u>**

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 171/2026

हरखित यादव एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

नूरसराय थाना कांड संख्या 668/2025

अंतर्गत धारा **126(2), 115(2), 118(2), 127(2), 109, 351(2), 190, 61(2), 191(2), 352 B.N.S**